

न्यायालय सभागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 230/2025

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

1. अनोपसिंह पुत्र कानसिंह
2. स्वरूपसिंह पुत्र सादूलसिंह  
जातियान-राजपूत, निवासी-  
ग्राम चाडी, पं0स0 रामसर  
जिला बाड़मेर।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चाडी,  
पं0स0 रामसर जिला बालोतरा।
2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार,  
रामसर जिला बालोतरा।
3. राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर,  
बालोतरा।
4. स्वरूप सिंह पुत्र गेनसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र गेनसिंह
6. तनसिंह पुत्र विजयसिंह
7. गजेसिंह पुत्र विजयसिंह
8. त्रिभूवनसिंह पुत्र स्वरूप सिंह  
जातियान-राजपूत, निवासी- ग्राम  
चाडी, पं0स0 रामसर जिला  
बालोतरा।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
आदेश जिला कलेक्टर, बाड़मेर क्रमांक प.12(3)(127) राज/2001/2640  
दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पोंड संख्या 2,3 की ओर से।
3. श्री ओ0पी. बूब, अधिवक्ता, रेस्पोंड संख्या 4 से 8 की ओर से।
4. रेस्पोंड संख्या एक बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

:: निर्णय ::

दिनांक: 22-07-2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चाडी के ख0सं0 288/1 की रकबा 07.03 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत को आवंटन करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा जिला कलेक्टर बाड़मेर को प्रेषित किया गया, जिस पर तहसीलदार

  
सभागीय आयुक्त  
जोधपुर

रामसर द्वारा भी ख0सं0 288/1 की रकबा 07.03 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत चाडी को देने की सिफारिश की गई, जिस पर जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा ख0सं0 288/1 की रकबा 07.03 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत चाडी को आवंटन करने हेतु शासन उप सचिव, राजस्व विभाग से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने की मांग की गई, जिस पर राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक 2/8/राज/ग्रुप-3 /2002/जयपुर दिनांक 17.01.2002 के जरिये उक्त वर्णित भूमि ग्राम पंचायत चाडी को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति के क्रम में जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक प.12(3)( ) राज/2001/1267 दिनांक 11.02.2022 के द्वारा ग्राम चाडी के ख0सं0 288/1 की रकबा 07.03 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिये आवंटित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 21.3.2002 में ख0सं0 288/1/1 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर स्वीकृत किया गया तथा आवंटित भूमि की तरमीम उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्ज की गई।

सरपंच ग्राम पंचायत चाडी के द्वारा उक्त भूमि आवंटन के क्रम में ख0सं0 288/1 में रकबा 7.03 बीघा आवंटित भूमि की मौके पर बसी आबादी के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम करवाने तथा आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से संशोधित तरमीम हेतु नक्शा ट्रेस प्रमाणित कर दिलाने की मांग करने पर तहसीलदार रामसर से जाँच करवाने तथा तहसीलदार, रामसर के द्वारा मौका स्थिति के अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम आबादी परिवारों के स्थान पर दुरुस्त किया जाना उचित होना बताये जाने पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 के द्वारा संशोधित आदेश पारित करते हुए ग्राम चाडी में मौके पर बसी हुई आबादी के अनुसार संशोधित तरमीम करने हेतु तहसीलदार रामसर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस को आवंटन आदेश का भाग माना जाकर तदनुसार तरमीम संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 08.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16.12.2021 को पेश की गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत दिनांक 16.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स ने जिला कलेक्टर बाड़मेर के ग्राम चाडी की आबादी भूमि की तरमीम अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश दिनांक 08.04.2021 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। ख0सं0 288/1 में से 07.03 बीघा भूमि की जो पुरानी तरमीम थी, उसमें अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के पक्के मकान, बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। अन्यत्र स्थान पर तरमीम शिफ्ट करने से अपीलान्ट के मकान व बाड़े आबादी भूमि से बाहर हो जाते हैं एवं सरकारी भूमि में आ जाते हैं। अपीलान्ट ने जब पक्के मकान बनाये तब उक्त भूमि आबादी भूमि थी। अब आबादी भूमि को यदि अन्य



स्थान पर शिफ्ट किया जाता है तो अपीलान्ट के मकान व बाड़े के पट्टे भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 से पीड़ित व्यक्ति है एवं अपीलान्ट के हित प्रभावित होते हैं इसलिये अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना बहुत ही उचित व न्यायसंगत है। अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2021 के अनुसार यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो तरमीम दुरुस्ती की कार्यवाही की है, उसमें अपीलान्ट व अन्य कब्जाधारियों को न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया, इसलिये अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हुई। हाल ही में दिनांक 22.10.2021 को जब ग्राम सेवक ने अपीलान्ट को बताया कि जो नई तरमीम दुरुस्ती की गई है, उससे उनके मकान आबादी से बाहर हो गये हैं, इसलिये उन्हें भूमि के पट्टे नहीं मिलेंगे, जिस पर दिनांक 26.10.2021 को अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर दिनांक 18.11.2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, क्योंकि पुरानी तरमीम में अपीलान्ट के पक्के मकान स्थित है एवं नई तरमीम में उक्त मकानात आबादी भूमि से बाहर हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 20 वर्ष बाद अचानक तरमीम को अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया। इस प्रकार उक्त जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोजेन्ड्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपील को इसी स्तर पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति तथा धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने पर विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त दोनों प्रार्थना पत्रों को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधि एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मौजा चाडी की आबादी की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 21.3.2002 की पुस्त पर की गई थी, जिसके अनुसार राजस्व नक्शे में भी तरमीम हुई थी, जिसके लगभग 20 वर्ष पश्चात अचानक तरमीम परिवर्तन करने का अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर बाडमेर को कतई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था।



अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि यदि नामान्तरकरण की पुश्त पर जो लाल रंग से तरमीम दर्शाई गई है, उसका अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तरमीम पुरानी आबादी के समानान्तर की गई है ताकि आबादी का विस्तार हो सके। ऐसी तरमीम को परिवर्तित करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। इसके अतिरिक्त पुरानी आबादी के चिपते ही अपीलान्ट व प्रेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, रविन्द्रसिंह पुत्र राणसिंह, महेन्द्र पुत्र स्वरूपसिंह, विपिन्द्र पुत्र स्वरूपसिंह वगैराह के मकानात व बाड़े बने हुए हैं। जो नई तरमीम प्रस्तावित की गई है, यदि वह हो जाती है तो अपीलान्ट के उक्त मकानात आबादी से बाहर हो जाते हैं, जिससे अपीलान्ट के हक-अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिये ऐसी तरमीम दुरुस्ती की कार्यवाही उचित व न्याय संगत नहीं है और जो तरमीम परिवर्तित की गई है, उसके सम्बन्ध में अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों को सुनवाई का न तो कोई अवसर दिया गया है और न ही नोटिस जारी किये गये हैं। इस प्रकार प्रभावित पक्षकारों को जानकारी दिये बगैर ही यह अंकित करते हुए कि पुरानी तरमीम के स्थान पर लोगों के मकानात नहीं बने हुए हैं, तरमीम को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया है, वह न्याय संगत नहीं है।



अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलान्ट ने जब पक्के मकानात बनाये, उस समय उक्त भूमि आबादी की भूमि थी एवं अपीलान्ट द्वारा उसे आबादी में की भूमि में होना मानते हुए पक्के मकानात बनाये थे। अब अचानक तरमीम को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने से उक्त मकानात सरकारी भूमि में आ जाते हैं, इसलिये ऐसा आदेश दिया ही नहीं जा सकता था। ग्राम पंचायत चाडी द्वारा अपीलान्ट के कब्जे के सम्बन्ध में दिनांक 20.11.21 को भौतिक कब्जा प्रमाणपत्र भी जारी किया है तथा प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2021 में ग्राम पंचायत ने भी आवंटन के समय की गई तरमीम को यथावत कायम रखा जाना उचित व न्यायसंगत माना है। स्वयं ग्राम पंचायत ने भी पुरानी तरमीम की भूमि में अपीलान्ट के मकानात होना स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत चाडी ने दिनांक 20.11.2021 को एक प्रस्ताव संख्या 01 पारित करते हुए पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना पंचायत के संज्ञान में लाये वहाँ निवास करने वाले लोगों का पक्ष सुने बिना पूर्व की तरमीम को संशोधित कर अन्यत्र लेकर जाने की कार्यवाही को उचित नहीं माना है। इस कारण ग्राम पंचायत भी यही चाहती है कि पुरानी तरमीम को यथावत रखा जावे।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि नई तरमीम वाली भूमि के मौके पर न तो लोगों के मकान हैं, न बाड़े हैं, न ही किसी प्रकार से कोई कब्जा है। ऐसे में जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.04.2021 को निरस्त किया जाये तथा प्रश्नगत भूमि में पूर्व में की गई तरमीम को ही यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करायें।

  
सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर

5. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा जो आदेश दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया है, वह उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है क्योंकि उक्त आदेश सरपंच ग्राम पंचायत चाडी के द्वारा ग्राम चाडी के ख0सं0 288/1 रकबा 7.03 बीघा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि की मौके पर बसी आबादी के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम करवाने तथा संशोधित तरमीम हेतु नक्शा ट्रेस प्रमाणित कर दिलाने की मांग किये जाने पर जिला कलेक्टर बाड़मेर के द्वारा तहसीलदार रामसर से जॉच रिपोर्ट तलब कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें उक्त आवंटित भूमि का नजरी नक्शे में दर्शाये गये प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार बिना नाप किये ही रिकॉर्ड में आनन-फानन में तरमीम कर दी जाना तथा मौका के स्थिति अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम आबादी परिवारों के स्थान पर दुरुस्ती किया जाना उचित बताये जाने पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने उक्तानुसार तरमीम संशोधन करने तथा आवंटित भूमि के खसरा संख्या व रकबा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 4 से 8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 2 ता 3 के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया तथा जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा जो आदेश दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया है, वह उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य होने से यथावत रखे जाने का निवेदन किया एवं अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने का कथन किया। अपीलान्त के द्वारा अपील पेश होने की जानकारी होने पर रेस्पो0 संख्या 4 से 8 की ओर से आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 10.04.2023 को पेश किये प्रार्थना-पत्र के द्वारा निवेदन किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा उन्हें दिनांक 12.8.2024 को अपील में पक्षकार संयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट के पैरा संख्या 14 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली में आबादी भूमि के मानचित्र की प्रति संलग्न नहीं होना बताया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटन के बाद आबादी भूमि में हम रेस्पोडेण्ट्स को बसाया गया था जिनके आवासीय मकान बने हुए है तथा कुछ को निःशुल्क पट्टे भी जारी किये गये है ऐसे में सरपंच के द्वारा वर्तमान में जहाँ आबादी बसी हुई है, वहाँ आबादी की तरमीम नहीं कर खाली भूमि में आबादी की तरमीम कर दिये जाने से उक्त तरमीम को आबादी के अनुसार दुरुस्त किये जाने की मांग की गई थी।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 4 से 8 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट के पैरा संख्या 21 एवं 28 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार रामसर के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि ख0सं0 288/1 कुल रकबा 237.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण में से तत्कालीन ग्राम पंचायत चाडी की मांग पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2002 के द्वारा उक्त भूमि का आवंटन आबादी विस्तार के लिये किया गया था। बाद आवंटन उक्त भूमि की

5

  
सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर



तरमीम नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार बिना नाप किये ही रेकर्ड में कर दी जाना बताया और नामा0 पुस्त पर नजरी नक्शे के अनुसार ही दर्शाया हुआ होना रिपोर्ट में अंकित किया गया। साथ ही आवंटित भूमि का नक्शा उपलब्ध नहीं होने, ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान बसावट से भिन्न तरमीम होने से बसावट के अनुसार रेकर्ड में तरमीम करने की अनुशंषा सरपंच ग्राम पंचायत चाडी के द्वारा किये जाने के आधार पर ही जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा तरमीम दुरुस्ती के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.4.2021 को पारित किये गये हैं जो उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधि के अनुकूल तथा मौके पर बसी आबादी भूमि के अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने का निर्णय होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर यथावत रखा जाये तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रिबटल में निवेदन किया कि अपीलाण्ट अनोप सिंह सहित अन्य व्यक्ति लगभग 19 वर्ष पूर्व तरमीम शुदा जमीन पर पक्के आवास, टांके, बाड़े बनाकर आवंटन के ठीक बाद से निवास करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि में पूर्व में की गई तरमीम को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं प्रश्न किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया कि जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 से पूर्व में जारी अपने आदेश दिनांक 11.02.2002 जिसके द्वारा ग्राम चाडी के ख0सं0 288/1 में से 07.03 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत चाडी को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया था, को सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा आबादी भूमि की बसावट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं होने तथा आबादी के अनुसार तरमीम दुरुस्ती की मांग किये जाने पर तथा तहसीलदार रामसर से मौका रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तहसीलदार के द्वारा उक्तानुसार तरमीम संशोधन किये जाने की अनुशंषा किये जाने के आधार पर तरमीम संशोधन किये जाने के आदेश दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया।

अपीलान्ट द्वारा यह मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित करने से पूर्व उन्हें नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा उक्त प्रश्नगत आवंटित भूमि यानि आबादी विस्तार वाली भूमि पर उनके मकानात, बाड़े इत्यादि बने हुए हैं, उक्त संशोधन आदेश से वह आबादी भूमि से बाहर हो जायेंगे तथा उन्हें भविष्य में पट्टा प्राप्ति इत्यादि कार्यों हेतु अनावश्यक परेशानी होगी।

पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्रामवासी चाडी एवं सरपंच ग्राम पंचायत चाडी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.09.2019 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर को



प्रस्तुत कर मुख्य कथन यह किया कि खसरा संख्या 288/1 रकबा 237.13 बीघा किस्म गै. मु. ओरण में 7.03 बीघा भूमि जहां आबादी बसी हुई है वहां आबादी की तरमीम नही कर खाली भूमि में आबादी की तरमीम कर दी गई है, जिससे आबादी में बसे लोग बाहर होने से तरमीम दुरस्त करने की मांग की गई है। जिस पर अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा तहसीलदार, रामसर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, रामसर जिला बाड़मेर द्वारा पत्रांक 349 दिनांक 20.10.2020 के द्वारा जिला कलेक्टर, बाड़मेर को मौका जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम चाडी के मूल खसरा नम्बर 288/1 कुल रकबा 237.13 बीघा किस्म गै.मु. ओरण में से तत्कालीन ग्राम पंचायत चाडी की मांग पर जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर द्वारा आदेश कमांक/एफ. 12(3)राज. /2002/1268-73 दिनांक 11.02.2002 के तहत खसरा नम्बर 288/1 में से 7.03 बीघा भूमि का आवंटन आबादी भूमि विस्तार के लिए किया गया था। बाद आवंटन नामा. सं. 312/21.03.2002 के तहत रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर आवंटित भूमि की तरमीम नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार बिना नाप किये ही रेकॉर्ड (लड्डाट्रेस) में आनन-फानन में तरमीम कर दी गई। नामा. पुस्त पर भी नजरी नक्शे के अनुसार ही दर्शाया हुआ है। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के बाद आवंटन हेतु चिन्हित स्थान पर आबादी को बसाया गया। आबाद परिवारों द्वारा आवासीय पट्टे हेतु पत्रावली लगाने पर आबादी भूमि का सीमांकन करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व में प्रस्तावित भूमि के स्थान पर आबादी भूमि की तरमीम न होकर अन्य जगह तरमीम की हुई पाई गई। वर्तमान में रिकॉर्ड में आवंटित भूमि की तरमीम आबादी से लगती हुई 7.03 बीघा भूमि की, की हुई है। जहां तरमीम की हुई है, वहां पर कोई भी परिवार आबाद नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि जानकर बसाये हुए परिवार आवंटित भूमि से बाहर हो गये है। ग्राम पंचायत द्वारा बसाये हुए परिवारों में स्वरूपसिंह पुत्र गेनसिंह, नारायणसिंह पुत्र गेनसिंह, गजेसिंह पुत्र विजयसिंह, तनसिंह पुत्र विजयसिंह इत्यादि के परिवार थे। इसके अलावा भी अन्य परिवार भी बसे हुए है। ये सभी परिवार तरमीमशुदा आबादी भूमि से बाहर आ रहे है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन परिवारों को आबादी में बसाया गया था। आबादी भूमि की तरमीम अन्य जगह पर होने के कारण वंचित परिवारों को आवासीय पट्टे जारी नहीं होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। मौके के अनुसार आवासरत परिवारों का नजरी नक्शा व आवंटित भूमि का नक्शा तथा मौका स्थिति के अनुसार आवंटित की गई भूमि की तरमीम आबाद परिवारों के स्थान पर दुरस्त करने की अनुशंसा की गई।

तत्पश्चात् अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा भूमिधारक तहसीलदार, रामसर की अनुशंसा पर आदेश दिनांक 11.02.2002 में आंशिक संशोधन कर मौके पर बसी हुई आबादी के अनुसार संशोधित तरमीम करने हेतु तहसीलदार रामसर द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस को आवंटन आदेश का भाग माना जाकर तदनुसार तरमीम संशोधन करने का स्वीकृति आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही कर संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश

  
सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर



क्रमांक 2640 दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित करने से पूर्व तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट तलब की गई है तथा मौके पर बसी हुई आबादी के अनुसार संशोधित तरमीम का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12(3)(127)राज/2001/2640 दिनांक 08.04.2021 विधि के अनुरूप होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2021 में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.12(3)(127)राज/2001/2640 दिनांक 08.04.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फ़ैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ़्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।



(डॉ० प्रतिभा सिंह)  
सम्भागीय आयुक्त  
जायपुर